मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

प्रकीर्ण वाद संख्या २३३/२०२० (एम.ए.सी.पी. सं. २७९/२०१९)
राम स्वरूप प्रति अनुराग आदि
१२.१२.२०२०

पत्रावली आज **राष्ट्रीय लोक अदालत** में पेश हुई। ३ बी प्रार्थनापत्र पर प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व नियत तिथित पर सुना जा चुका है। ३बी प्रार्थनापत्र प्रार्थी/याची राम स्वरूप द्वारा इस आशय से प्रस्तुत किया गया है, कि प्रस्तुत याचिका में न्यायाधिकरण द्वारा दिनाँक ०१.११.२०२० को राजीनामा के आधार पर लोक अदालत में ₹ ३०,००० का एवार्ड पारित किया गया है, जिसके अनुपालन में विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी द्वारा उक्त धनराशि न्यायाधिकरण के सिन्डीकेट बैंक शाखा गोबिन्द चौराहा, झाँसी में स्थानान्तरित कर दी गयी है, जिसका यू.टी.आर. नं. N323201312955189 है। अतः प्रार्थी ने उक्त जमाशुदा प्रतिकर की धनराशि मय ब्याज उसके पक्ष में स्थानान्तरित किये जाने की याचना की है। समर्थन में ४सी२ शपथपत्र राम स्वरूप व स्वयं के आधार कार्ड व बैंक खाते की छाया प्रति दाखिल की गयी हैं।

प्रस्तुत प्रकीर्ण वाद व एम.ए.सी.पी. सं. २७९/२०१९ राम स्वरूप बनाम अनुराग आदि की पत्रावलियों एवं कार्यालय आख्या का अवलोकन किया गया। उक्त एम.ए.सी.पी. सं. २७९/२०१९ में न्यायाधिकरण द्वारा दिनाँक ०१.११.२०२० को सुलहनामा के आधार पर ई लोक अदालत में ₹ ३०,००० का एवार्ड पारित किया गया है, जो धनराशि याची को आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के माध्यम से उसके बैंक खातें में नकद प्राप्त होनी है। कार्यालय आख्या के अनुसार प्रार्थनापत्र में उल्लिखित विवरण के अनुसार बीमा कम्पनी द्वारा यू.टी.आर.नं. N3232013129 55189 के जरिये ₹ ३०,००० सिन्डीकेट बैंक, गोबिन्द चौराहा झाँसी में जमा होने का इन्द्राज है। प्रार्थी द्वारा अपने शपथपत्र में प्रार्थनापत्र के कथनों का समर्थन किया है तथा यह भी कथन किया है कि न्यायाधिकरण के उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई है। प्रार्थी द्वारा अपने बैंक खाते की छाया प्रति दाखिल की गई है। अतः मेरे विचार से न्यायाधिकरण के उक्त आदेश के अनुपालन में प्रार्थी राम स्वरूप प्रकरण में जमाशुदा प्रतिकर की धनराशि अपने बैंक खाते में जरिए आर.टी.जी.एस./नेफ्ट नकद प्राप्त करने के अधिकारी है।

आदेश

सिन्डीकेट बैंक शाखा गोबिन्द चौराहा, झाँसी को आदेशित किया जाता है कि वह एम.ए.सी.पी. सं. २७९/२०१९ (प्रकीर्ण वाद सं. २३३/२०२० राम स्वरूप प्रति अनुराग आदि) के प्रकरण में जमाशुदा क्षतिपूर्ति धनराशि मय ब्याज प्रार्थी को निम्न सारिणी के अनुसार भुगतान कर दें:-

Applicant/ Petitioner	Amount in ₹	+(%of) Interest Accrued on Deposited Amount	Mode of Disbursement	Bank Account Number	Bank	IFSC Code
Ram Swaroop	30000	100	Elect. Mode RTGS/NEFT	92352010011087	Syndicate Bank, Govind Chauraha Jhansi	SYNB0009235
Total	30000	100				

तदनुसार अनुपालन आख्या तत्काल जरिये ई-मेल एवं वाट्सएप न्यायाधिकण को प्रेषित की जाय। ३बी प्रार्थनापत्र तदनुसार निस्तारित। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)
पी.ओ., एम.ए.सी.टी., झाँसी।

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.12.12 14:41:49 IST
Reason: PO
Location: MACT JHANSI